विहंगावलोकन

भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सं.शा.क्षे. में विधान मण्डल नहीं हैं। बिना विधान मण्डल वाले पाँच सं.शा.क्षे. की लेखापरीक्षा से उजागर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को 2014 तक संघ सरकार के नि.म.ले.प. के अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जा रहा था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को पहली बार बिना विधानमण्डल वाले सं.शा.क्षे. के संबंध मे एक अलग प्रतिवेदन के रूप मे तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। अध्याय–I संक्षिप्त प्रस्तावना तथा पहले के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही, टिप्पणियों की सारांशिकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति प्रदान करता है। अध्याय II से III विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रस्तुत करते हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने सं.शा.क्षे. विभागों/संगठनों की लेखापरीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कमियों को सूचित किया है। वर्तमान प्रतिवेदन में ऐसी लेखापरीक्षाओं पर आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है। विशिष्टताओं को निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

पत्तन प्रबंधन बोर्ड में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण

पत्तन प्रबंधन बोर्ड (प.प्र.बो.) के उद्देश्यों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.) के पत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के प्रति एवं बन्दरगाहों की सफाई–व्यवस्था हेतु नियमों एवं विनियमों का निरूपण शामिल हैं। तथापि, सभी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित शक्तियाँ प.प्र.बो. को प्रदत्त नहीं थी। प.प्र.बो. द्वारा निष्पदित किए जा रहे कार्यों के सुगम संचालन हेतु आवश्यक आवधिक नियमों एवं विनियमों को तैयार करने हेतु प्रशासन द्वारा कोई पहल नही की गई थी। इस प्रकार, जलयान/माल संबंधित सेवाओं हेतु प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण में कमियां थी; माल प्रबंधन हेतु कार्यबल को दक्षता पूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया था; राजस्व के संवर्धन हेतु कोई नीति नहीं थी और न ही भूमि प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की गई थी। उपर्युक्त आंतरिक नियत्रंण

तंत्र के अभाव ने आगे प.प्र.बो. के कार्य करने को प्रभावित किया। प.प्र.बो. ने अधिकांश लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 2.1)

₹317.03 लाख का निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग, संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली ने पाईपलाईन नेटवर्क में पाईपों की विशिष्टताओं, जैसा कि मैसर्स वाटर एण्ड पॉवर कंसलटेंसी सर्विसिस (इण्डिया) लि., सलाहकार, द्वारा सिफारिश की गई थी, की अनुपालना नहीं की गई थी जिसका परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)

संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न करना

पुलिस विभाग हेतु संचार नेटवर्क के लिए टेट्रा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन की विफलता का परिणाम संचार प्रणाली के गैर–आधुनिकीकरण में हुआ। प्रणाली, तटीय तथा संवेदनशील सं.शा.क्षे. में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य गतिविधि है। सं.शा.क्षे. प्रशासन ने चार वर्षों से अधिक के लिए ओमनिवस औद्योगिक विकास निगम के पास ₹484.38 लाख की निधियों को भी अवरूद्ध किया।

(पैराग्राफ 2.6)

सरकारी निधियों को अनियमित रूप से जमा रखना

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) के पास ₹216.59 करोड़ तक की निधियों को जमा रखने तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.ल.) को ₹40.48 करोड़ की अव्ययित राशि को वापस न किए जाने का परिणाम ₹257.07 करोड़ तक सरकारी धन के अवरोधन के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)

विशेष भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को द्वीप विशेष कार्य भत्ता (द्वी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त एक ही समय पर दो विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते अर्थात् विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) अनुमत किया। यह ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान का कारण बना।

(पैराग्राफ 2.9)

पट्टे करारों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ द्वारा पट्टे करारों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की लागू दर की कम वसूली करने का परिणाम ₹226.57 लाख की कम वसूली के रूप मे हुआ।

(पैराग्राफ 3.2.2)

किराया आय पर सेवा कर का संग्रहण न करना

स्थायी सम्पत्ति को किराए पर देने को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 से सेवा कर की सीमा में लाया गया था। सेवा कर का विलम्बित भुगतान उस पर ब्याज को भी आकर्षित करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि सं.शा.क्षे. दादरा एवं नागर हवेली के पर्यटन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर अपनी सम्पत्तियों को निजी दलों को पट्टे पर दिया था। तथापि, विभाग ने न तो सेवा कर का संग्रहण किया और न ही इस सेवा कर विभाग को जमा कराया जिसका परिणाम कर तथा ब्याज के कारण ₹51.54 लाख की कुल देयता में हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि उसने अक्टूबर 2014 तक ₹10.01 लाख की राशि की पहले ही वसूली कर ली थी।

(पैराग्राफ 3.2.4)